उत्तराखण्ड सरकार

International Year of Cooperatives 2025

Cooperatives Build a Better World

Performance Budget
(कार्यपूर्ति दिग्दर्शिका)

2024-25

सहकारिता विभाग
उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड राज्य

International Year of Cooperatives 2025

Performance Budget

(कार्यपूर्ति दिग्दर्शिका पुस्तिका)

2024-25

सहकारिता विभाग, उत्तराखण्ड

डॉ. धन सिंह रावत
मंत्री
चिकित्सा स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा
सहकारिता, उच्च शिक्षा, संस्कृत शिक्षा,
विद्यालयी शिक्षा

उत्तराखण्ड सरकार

विधान सभा भवन
कक्ष सं. : 20
फोन : 0135-2666304 (का.)
फैक्स : 0135-2666308

संदेश

मुझे यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है, कि सहकारिता विभाग उत्तराखण्ड द्वारा वार्षिक "**कार्यपूर्ति दिग्दर्शिका पुस्तिका**" का प्रकाशन किया जा रहा है। सहकारिता मन्त्रालय, भारत सरकार के गठन उपरान्त अल्पकालिक समय में ही सहकारिता क्षेत्र को सशक्त बनाये जाने हेतु कई नवोन्वेषी पहलें तथा ऐतिहासिक योजनाओं की शुरुआत की गयी है, जिसके परिपेक्ष्य में उत्तराखण्ड राज्य में सहकारिता विभाग द्वारा भारत सरकार एवं राज्य सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाओं का सफल क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस पुस्तिका में विभाग द्वारा वर्ष भर किये गये समग्र प्रयासों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें सहकारिता विभाग की वार्षिक कार्य योजना, विभाग द्वारा संचालित विभिन्न नवाचार कार्यक्रम, भौतिक संसाधनों के विकास की प्रक्रिया आदि का समावेश किया गया है।

मुझे विश्वास है, सहकारिता विभाग की यह वार्षिक "**कार्यपूर्ति दिग्दर्शिका पुस्तिका**" आमजन मानस के लिए पठनीय एवं विचीारणीय सामग्री प्रस्तुत कर विभागीय योजनाओं की सूचनाओं के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु उचित माध्यम साबित होगी।

सहकारिता विभाग उत्तराखण्ड की इस वार्षिक "**कार्यपूर्ति दिग्दर्शिका पुस्तिका**" के प्रकाशन हेतु विभागीय अधिकारियों एवं कार्मिकों को मेरी ओर से बधाई एवं हार्दिक शुभकामनायें।

(डॉ धन सिंह रावत)

सहकारिता विभाग, उत्तराखण्ड
संक्षिप्त विवरण

लोकतांत्रिक साधन के रूप में पारस्परिक सहायता पर आधारित स्वैच्छिक सहकारी संस्थाओं को संगठित कर विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों के शोषण को रोकने और उनके सामाजिक आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने हेतु सहकारिता को परिभाषित किया गया है, जिसके द्वारा राज्य के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रकार की सहकारी संस्थायें गठित की गई हैं। राज्य सरकार द्वारा सहकारिता विभाग के माध्यम से सहकारी संस्थाओं को आवश्यक मार्गदर्शन, संरक्षण एवं आर्थिक तथा तकनीकी सुविधा जैसे अंशपूजी, ऋण, ऋण गारन्टी तथा अनुदान आदि सुलभ कराये जाने के साथ ही राज्य में कृषकों को कृषि उत्पादन में वृद्धि एवं विपणन आदि की सुविधायें प्रदान की जा रही है।

''सहकारिता से समृद्धि'' और देश में सहकारिता आन्दोलन को सुदृढ़ कर समाज के अन्तिम पंक्ति तक इसकी पहुँच बनाये जाने के उद्देश्य से सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्तमान में 54 नयी विभिन्न योजनायें संचालित की गयी है, जिसके द्वारा पैक्स के साथ–साथ पैक्स से जुड़े सहकारी सदस्यों की भी आर्थिकी सुदृढ़ किये जाने का प्रयत्न किया जा रहा है। उत्तराखण्ड राज्य में सहकारिता विभाग द्वारा 672 बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (एमपैक्स), 10 जिला सहकारी बैंकों व उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0 की कुल 327 बैंक शाखाओं के माध्यम से सहकारी सदस्यों को आर्थिक व सामाजिक रुप से सशक्त किये जाने का एक महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में राज्य में विभिन्न प्रकार की 5530 सहकारी समितियाँ संचालित है, जिनके द्वारा अपने सदस्यों को विभिन्न सेवायें यथा पीडीएस के तहत उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण, उर्वरकों और अन्य कृषि सम्बन्धी उपकरणों का वितरण, कृषि और बागवानी उत्पादों की खरीद एवं उनका विपणन, हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों का उत्पादन, मत्स्य पालन, मानव संसाधन उपलब्ध कराना आदि गतिविधियाँ संचालित कर सहकारी समिति/संस्था को लाभप्रद कर उसके सदस्यों के जीवनस्तर को भी ऊँचा उठाने का सतत् प्रयास किया जा रहा है। भारत सरकार सहकारिता मंत्रालय द्वारा वर्तमान में संचालित विभिन्न योजनायें यथा पैक्स के सशक्तिकरण हेतु उनका कम्प्यूटरीकरण, प्रत्येक पंचायत/गांव में बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी, मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना, विश्व की सबसे बड़ी विकेंद्रीकृत अन्न भण्डारण योजना, जन सुविधा केन्द्र, जन औषधि केन्द्र, खाद्य सुरक्षा के लिए अन्न भण्डारण योजना, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केन्द्र, पानी समिति, आदि योजनाओं के द्वारा सुदूर क्षेत्रों के सहकारी सदस्यों/जन मानस को सुविधायें प्रदान की जा रही है

साथ ही राज्य सरकार द्वारा सहकारिता विभाग के माध्यम से **दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना, राज्य समेकित सहकारी विकास योजनान्तर्गत, मुख्यमंत्री ई–रिक्शा कल्याण योजना, "मुख्यमंत्री मोटर साइकिल टैक्सी योजना, स्टेट मिलेट मिशन, मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजनाओं** द्वारा सहकारी सदस्यों की आर्थिकी को सुदृढ़ किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही राज्य में सहकारिता आन्दोलन में राज्य की महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से विभिन्न सहकारी संस्थाओं के संचालक मण्डल में महिलाओं हेतु 33 प्रतिशत पद आरक्षित किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में अल्पकालीन तथा मध्यकालीन ऋण वितरण हेतु क्रमशः रू0 155000.00 लाख तथा रू0 35000.00 लाख का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना में रू0 129595.00 लाख का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सहकारी संस्थाओं के माध्यम से 171800 मै0टन रासायनिक उर्वरकों के वितरण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

प्रदेश के किसानों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्गों, महिलाओं तथा अन्य कमजोर वर्गों के व्यक्तियों की सहकारी संस्थाओं के लिये विभाग की भूमिका एक मित्र, दार्शनिक एवं मार्गदर्शक के रूप में निभाता है ताकि उनकी सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति प्राप्त की जा सके।

:–विभागीय नीतिः–

- "सहकार से समृद्धि" के ध्येय वाक्य से सहकारिता आन्दोलन को जन–जन तक पहुँचाना।
- भारत सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से स्थानीय आबादी को उनके द्वारा पर ही विभिन्न सुविधायें यथा जन सुविधा केन्द्र, जन औषधि केन्द्र, भण्डारण योजना आदि प्रदान करना।
- प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केन्द्र के रूप में एमपैक्स द्वारा उर्वरक, बीज कीटनाशक, छोटी कृषि मशीनरी कृषि इनपुट की एक विविध श्रृंखला स्थापित करने के साथ ही मिट्टी एवं बीज के परीक्षण की सुविधा भी प्रदान करना।
- कृषकों को ब्याज रहित कृषि एवं कृषियेत्तर ऋण उपलब्ध कराना।
- सहकारी बैंकों की शाखाओं के माध्यम से सदस्यों को उनकी आवश्यकता के अनुसार अकृषक ऋण जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक दायित्वों की पूर्ति हेतु ऋण उपलब्ध कराना।
- कृषि निवेशों की समय से आपूर्ति।
- कृषकों को उनकी उपज का यथोचित मूल्य दिलवाना।
- सहकारिता के माध्यम से स्वरोजगार का सृजन।
- दूरस्थ तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं को उचित दर पर उपलब्ध कराया जाना।
- प्रारम्भिक समितियों में ग्रामीण बचत केन्द्रों/बैक शाखाओं की स्थापना कर बैंक जनता के द्वार।
- सहकारी समितियो को स्वाश्रयी बनाना।

:–प्रक्रियात्मक सुधार एवं नवान्वेषी कार्य–:

- राज्य में सहकारिता आन्दोलन में राज्य की महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से विभिन्न सहकारी संस्थाओं के संचालक मण्डल में महिलाओं हेतु **33 प्रतिशत पद आरक्षित** किये जाने की व्यवस्था की गयी है।
- राज्य के विभिन्न जिला सहकारी बैंकों के सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु **Institute of Banking Personnel Selection (IBPS)** के माध्मय से **कुल 225 पदों पर विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी, जिसके सापेक्ष कुल 164 विभिन्न पदों पर अभ्यर्थिओं का चयन किया गया।**

- एमपैक्सों को **"जन सुविधा केन्द्र"** के रूप में विकसित कर 300 से अधिक ई–सर्विस समिति स्तर पर ही प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य के 670 पैक्स में से **639 पैक्स Common Service Centre (CSC)** के रूप में कार्यशील हो गये हैं।
- राज्य में कुल **21 एमपैक्स "जन औषधि केन्द्र'** के माध्यम से समिति सदस्यों/आम जन मानस को सस्ती कीमत वाली गुणवत्ता पूर्ण दवाईयां (जेनरिक दवाईयां) व अन्य मेडिकल सामग्री उपलब्ध करा रही हैं।
- सहकारिता मंत्रालय द्वारा **सहकारिता से समृद्धि** के दृष्टिकोण के अनुरूप देश की **अनाच्छादित ग्राम पंचायतो में नई बहुउद्देशीय पैक्स/डेयरी/मत्स्य सहकारी समितियो के गठन** सम्बन्धी योजना के अन्तर्गत **163 नई** बहुउद्देशीय पैक्स/डेयरी/मत्स्य सहकारी समितियों का गठन किया गया है।
- **"सहकार से समृद्धि"** के ध्येय वाक्य के अन्तर्गत सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित नेशनल कॉ–ऑपरेटिव डाटाबेस के अन्तर्गत राज्य की **कुल 5530 सहकारी समितियों** का डाटा पोर्टल पर अपलोड किया गया है।
- प्रदेश की **466** एमपैक्सों को **प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केन्द्र** के रूप में परिवर्तित कर उर्वरक, बीज कीटनाशक, छोटी कृषि मशीनरी कृषि इनपुट की एक विविध श्रृंखला स्थापित करने के साथ ही मिट्टी एवं बीज के परीक्षण की सुविधा प्रदान की जा रही है।
- सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी विकेन्द्रीकृत अनाज भण्डारण योजना के लिए उत्तराखंड राज्य के **बहुउद्देशीय किसान सेवा सहकारी समिति लिमिटेड, सहसपुर जिला देहरादून** की 0.75 एकड़ भूमि पर लगभग 500 मैट्रिक टन की रू0 1.28 करोड़ लागत से गोदाम का निर्माण किया गया है।
- विभागीय कार्यो में मार्डन एवं एमरजिंग टैक्नोलॉजी का अधिक से अधिक प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में सहकारिता मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा **Strengthing of Cooperative through Interventions** परियोजना अन्तर्गत प्रदेश स्तरीय एवं जिला स्तरीय विभागीय कार्यालयों को कम्प्यूटरीकरण कराया जा रहा है।
- राज्य की **समस्त 670 एमपैक्सों का कम्प्यूटरीकरण** किये जाने हेतु पैक्स कम्प्यूटरीकरण योजना संचालित की जा रही है जिसके माध्यम से समिति कार्यों में पारदर्शिता होने के साथ ही समिति अभिलेखों का भी डिजिटलीकरण किया जायेगा।
- ग्राम सभा स्तर पर पानी पाइपलाइन के संचालन एवं उसके रख–रखाव हेतु राज्य की **कुल 62 एमपैक्सों** को जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पानी समिति के रूप में चयन कर किया गया है।

- राष्ट्रीय स्तर पर तीन नई प्रकार की समितियों में राज्य की 473 एमपैक्सों द्वारा **National Cooperative Export Society** की, **503 एमपैक्सों** द्वारा **National Cooperative Organic Society** एवं **501 एमपैक्सों** द्वारा **Bharatiya Beej Sahakari Samiti** की सदस्यता ग्रहण कर ली गयी है।
- स्वयं सहायता समूहों को प्रारम्भिक कृषि सहकारी समितियों से जोड़ते हुये उक्त समूहों को रू0 5.00 लाख तक का ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।
- मानव संसाधन विकास के अन्तर्गत विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन कर कार्मिकों की कार्यक्षमता व दक्षता का विकास किया गया है।

❖ **अन्तराष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त पुरस्कारः–**

उत्तराखण्ड सहकारिता विभाग को जुलाई 13, 2024 में **स्कॉच सिल्वर अवार्ड** से सम्मानित किया गया, जो कि राज्य में सहकारिता विभाग द्वारा किये गये परिश्रमी प्रयासों और सफर पहलों का प्रमाण है। यह पुरस्कार न्याय पंचायत स्तर पर 670 बहुउद्देशीय प्राइमरी सहकारी समिति (एमपैक्स) प्रणाली को मजबूत करने और राज्य एकीकृत सहकारी विकास परियोजना के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि करने के लिये विभाग के सराहनीय प्रयासों को मान्यता देता है। देश भर में सहकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर सहकारिता विभाग की शीर्ष सहकारी संस्था **उत्तराखण्ड को–ऑपरेटिव रेशम फेडरेशन को** सहकारिता में किये जा रहे नवाचार एवं पूर्ण मूल्य श्रृखला और सफल व्यवसायिक मॉडल के लिए राष्ट्रीय स्तर पर **नैकॉफ अवॉर्ड्स 2024 पुरस्कार** से सम्मानित किया गया।

:–विभागीय प्रमुख योजनायें–:

1. **दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजनाः–**

किसानों की आय दो गुना करने के उद्देश्य हेतु राज्य सरकार द्वारा अक्टूबर 2017 से संचालित **दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजनान्तर्गत** ग्रामीण क्षेत्र के लघु, सीमान्त तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले कृषक सदस्यों को वर्तमान में कृषि कार्यो हेतु रू0 01.00 लाख तथा कृषियेत्तर कार्यो यथा पशुपालन, जड़ी–बूटी, सगन्ध पादप, दुग्ध व्यवसाय, मत्स्य, मुर्गी पालन, मशरुम, पुष्प उत्पादन, औद्यानिकी, कृषि प्रसंस्करण, **कृषि–यंत्रीकरण, जैविक खेती, बेमौसमी सब्जी उत्पादन, पॉली–हाउस, आदि** कार्यो आदि कार्यो हेतु रू0 3.00 लाख तक एवं स्वंय सहायता समूहों को रू0 5.00 लाख तक की धनराशि का **ब्याजरहित** ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्षवार् विवरण निम्नवत् हैः–

(धनराशि लाख रु0 में)

क्र0स0	वित्तीय वर्ष	वितरित ऋण (धनराशि लाख रु0	लाभार्थिओं की संख्या		कुल लाभार्थिओं की संख्या
			व्यक्तिगत	स्वयं सहायता समूह	
1	2017-18	38087.46	80868	0	**80868**
2	2018-19	76148.63	162472	1	**162473**
3	2019-20	71130.88	125161	1246	**126407**
4	2020-21	76716.15	122802	1317	**124119**
5	2021-22	80476.35	119889	1167	**121056**
6	2022-23	93000.34	169450	965	**170415**
7	2023-24	89429	125736	594	**126330**
8	2024-25 (Jan 25)	93254.00	127343	579	**127922**
कुल योग		**618242.80**	**1033721**	**5869**	**1039590**

उक्त योजनान्तर्गत योजनारम्भ (अक्टूबर 2017) से जनवरी 2025 तक कुल 1033721 लाभार्थियों एवं 5869 स्वंय सहायता समूहों को कुल रु0 6183.00 करोड़ का ऋण वितरित किया जा चुका ळें

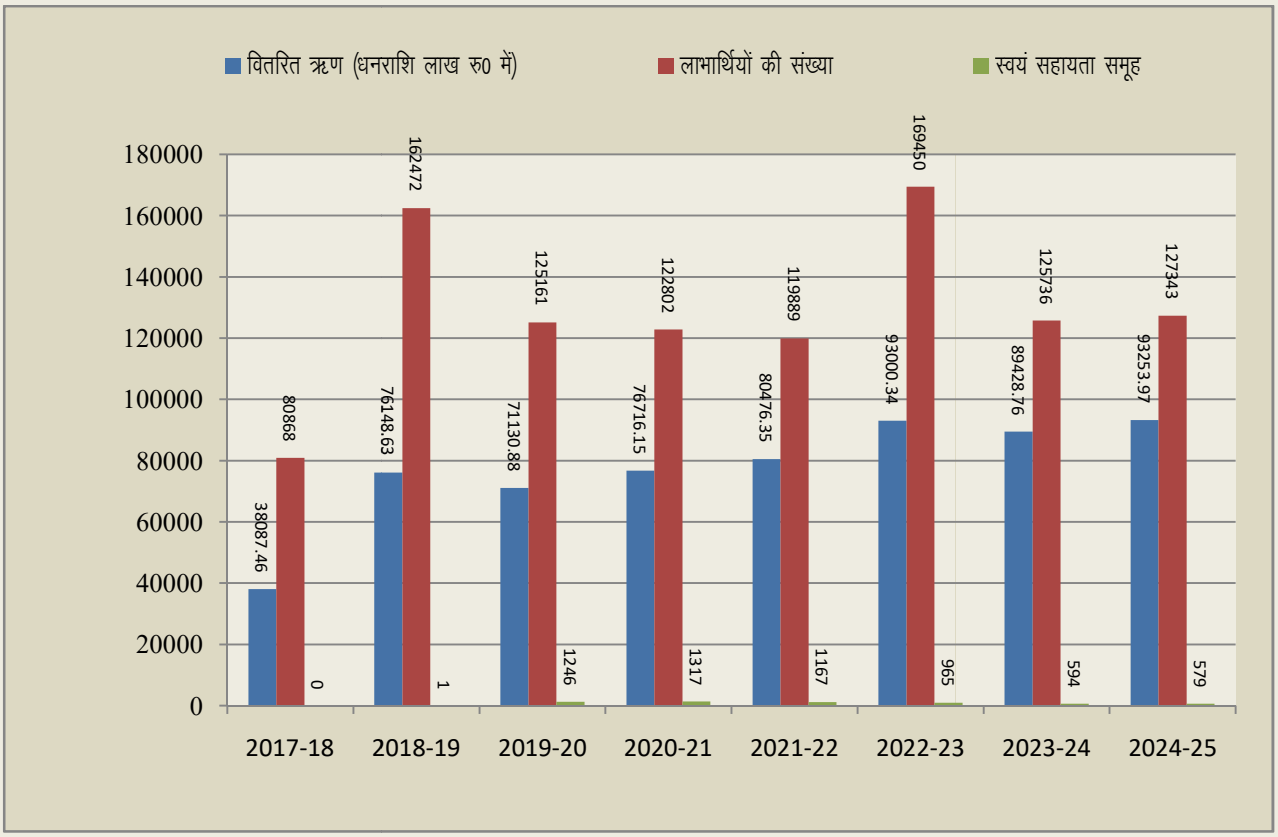

योजनान्तर्गत लाभार्थिओं को चैक वितरण

मशरूम गतिविधि

मौन पालन गतिविधि

2. राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजनाः–

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) के माध्यम से राज्य में संचालित '**राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना**' के अन्तर्गत **चार क्षेत्रक सहकारिता, मत्स्य, भेड़ बकरी पालन एवं डेयरी विकास** के अन्तर्गत जनपदवार् विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही है।

परियोजना द्वारा वर्तमान समय **माह दिसम्बर, 2024** तक 200 सहकारी समितियों से जुड़ें लगभग 55,000 सीमान्त कृषकों तक पहुंच विभिन्न आयसृजक गतिविधियों के क्रियान्वयन के माध्यम से बना चुकी है, मुख्यतः संयुक्त सहकारी खेती सहकारिता कॉर्पोरेट भागीदारी द्वारा मशरूम उत्पादन, सेब उत्पादन, मौनपालन, सायलेज उत्पादन एवं विपणन, अदरक बीज उत्पादन, आलू बीज उत्पादन, कॉआपरेटिव कोऑपरेटिव भागीदारी से बंजर जमीनों पर सहकारिता के माध्यम से कृषक उन्नयन परियोजना, समितियों का ई–मार्किटिंग प्लेटफार्म एवं ढांचागत विकास किया जा रहा है। परियोजना द्वारा किये जा रहे कार्यों का संक्षिप्त आख्या निम्नवत् हैः–

–: सहकारिता क्षेत्रक :–

1. सायलेज उत्पादन एवं विपणनः–

परियोजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून की 06 सहकारी समितियों से जुड़े 2330 कृशकों की 8075 एकड़ भूमि पर कुल 38633.80 मीट्रिक टन सायलेज का उत्पादन किया गया है तथा 27000 से अधिक पशुपालकों को साइलेज की आपूर्ति की। आगामी द्वितीय चरण में सायलेज की मांग को देखते हुए मक्का उत्पादन क्षेत्र का विस्तार कर जनपद हरिद्वार एवं उधम सिंह नगर के लगभग 1000 कृषकों की 2000 एकड़ कृषि भूमि पर मक्का बुआई की जानी है एवं सायलेज वितरण राज्य के समस्त पर्वतीय क्षेत्र की 152 सहकारी समितियों के माध्यम से विक्रय किया जा रहा है।

टी0एम0आर0 प्लांट

लाभार्थिओं को सायलेज बैग वितरण

2. माधो सिंह भण्डारी संयुक्त सहकारी खेतीः–

परियोजना के माध्यम से संयुक्त सहकारी खेती के अन्तर्गत माह दिसम्बर, 2024 तक 70 सहकारी समितियों में 1235 एकड़ भूमि चयनित कर ली गयी है जिसमें माधो सिंह भण्डारी संयुक्त सहकारी खेती हेतु 2400 किसानों का चयन किया गया है। पायलट परियोजना हेतु 24 सहकारी समितियों से जुड़ें कुल 1200 किसानों द्वारा 849.71 एकड़ भूमि पर वीर माधो सिंह भण्डारी संयुक्त सहकारी खेती किया जाना प्रस्तावित है। जिनमें से 23 समितियों ने परियोजना द्वारा प्रेषित माइक्रोप्लान पर अपनी सहमति दे दी गयी है। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड सरकार द्वारा इस परियोजना में किसानों से ली जाने वाली भूमि की लीज राशि हेतु रू0 10.00 करोड़ की राजकीय सहायता की सहमति भी प्रदान की गयी है। भूमि जांच और किसानों से समझौते की प्रक्रिया प्रगति पर है। रूद्रप्रयाग में अदरक की कटाई 40 क्विंटल तथा आलू की 120 क्विंटल अनुमानित है। रूद्रप्रयाग, अल्मोडा टिहरी एवं पिथौरागढ में कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

3. **मुर्गीपालनः–** परियोजना द्वारा जनपद देहरादून के जाड़ी, काण्डोईभरम एवं त्यूनी की सफलता के बाद पशुपालन विभाग एवं परियोजना द्वारा संयुक्त रूप से पोल्ट्री वैली स्कीम का गठन किया गया है जिसमें 10 जनपदों के 26 ब्लॉकों में 79 सहकारी समितियों के 2255 मुर्गीपालकों का चयन किया गया है जिनमें से दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना के अन्तर्गत 2091 लाभार्थियों को ऋण स्वीकृत कर दिया गया है, एवं 11 नोडल मदर यूनिट गढ़वाल मण्डल में स्थापित किये गये हैं। किसानों के द्वारा 2134 पोल्ट्री यूनिट तैयार किये गये हैं। लाभार्थियों को कुल 3.60 लाख चूजे वितरित किये गये। साथ ही कुल 1,58,256 जीवित मुर्गीयों की बिक्री की गयी जिससे परियोजना को कुल रू0 348.16 लाख की आय अर्जित हुई है।

4. **लेमनग्रासः–** परियोजना के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार की लालढांग सहकारी समिति के माध्यम से 61 कृषकों की 100 एकड़ भूमि के सापेक्ष 56 एकड़ भूमि पर लेमनग्रास का उत्पादन कर समिति द्वारा प्रोसेसिंग कर तेल उत्पादन एवं विपणन का कार्य किया जा रहा है जिससे कृषक एवं समिति लाभान्वित हो रहे हैं।

5. **विक्रय केन्द्र/विपणन केन्द्रः–** बिक्री केन्द्रों के माध्यम से 301.49 मीट्रिक टन ताजी सब्जियों एवं 98.76 मी0टन अदरक का विपणन किया जा चुका है जिससे रू0 138.68 लाख की आय अर्जित की गयी है। बिक्री केन्द्रों के माध्यम से 2500 से अधिक किसानों ने 430 मीट्रिक टन कृषि उपज उत्पादित की गई है जिससे रू0 100.01 लाख की आय अर्जित की गयी है।

6. **मशरूम उत्पादनः–** वर्तमान में संशोधित मशरूम उत्पादन का कार्य संयुक्त उपक्रम के माध्यम से किया जा रहा है साथ ही मशरूम उत्पादन से जुड़ें 247 किसानों को प्रशिक्षण दिया गया 175 मशरूम यूनिट का निर्माण पूर्ण कर दिया गया है। तथा मशरूम का कुल वार्षिक उत्पादन 2.5 मीट्रिक टन अर्जित किया गया।

7. **मौनपालनः–** वर्तमान में मौनपालन गतिविधि हेतु संशोधित प्लान तैयार किया गया है जिसमें तेजस अपेरी एवं हिमनाद कॉरपोरेट संस्था द्वारा तकनीकी सहयोग प्रदान किया जायेगा। वर्तमान में 500 लाभार्थियों का चयन किया जा चुका है जिसके सापेक्ष 290 लाभार्थियों को ऋण वितरण की प्रक्रिया गतिमान है, एवं 2500 कि0ग्रा0 षहद का उत्पादन कर विक्रय किया जा चुका है।

8. **अदरक गतिविधिः–** परियोजना द्वारा जनपद चम्पावत में अदरक बीज उत्पादन हेतु 12 सहकारी समितियों के साथ कार्य किया जा रहा है जिनके द्वारा इस वर्श लगभग 200 मीट्रिक टन अदरक उत्पादन एवं विपणन किया जाना है।

9. **ई–मार्केटिंग कॉपरेटिव प्लेटफार्मः–** परियोजना द्वारा प्रदेष की 09 मार्केटिग समितियों को ऑनलाइन मार्केटिंग पोर्टल द्वारा जोड़ दिया गया है जिनके माध्यम से समितियां अपने पास उपलब्ध जीन्सों का विवरण पोर्टल पर डाल सकती हैं जिससे कि क्रेता सम्बन्धित सामग्री के लिए इन मार्केटिंग समितियों से ऑनलाइन सम्पर्क स्थापित कर खरीदारी कर सकते हैं।

–: भेड़–बकरी क्षेत्रकः–

1. भेड़ बकरी इकाईयों की स्थापना (प्रथम चरण) :–

- ❖ योजनान्तर्गत प्रथम चरण में राज्य में गठित प्राथमिक भेड़ बकरी सहकारी सदस्यों को 10 भेड़/बकरियां तथा 01 उच्च गुणवत्ता का मेढ़ा/बकरा उपलब्ध करा कर 21(20+1) की एक इकाई स्थापित की गयी।
- ❖ भेड़/बकरी इकाई के स्वास्थ परीक्षण, टैगिंग, पेट के कीड़े मारने की दवा, टीकाकरण एवं बीमा निःषुल्क कराया गया तथा सदस्य के पास उपलब्ध सभी पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण, टैगिंग, पेट के कीड़े मारने की दवा, टीकाकरण के साथ अन्य आवष्यक उपचार की सुविधा भी फेडरेषन के द्वारा कराया गया।
- ❖ योजना अन्तर्गत 4,262 लाभार्थियों का चयन कर लाभान्वित किया गया, जिनमें से 3,134 लाभार्थियों को ऋण वितरित किया जा चुका है।

गोट वैली की स्थापना (द्वितीय चरण) :–

- ❖ दिनांक 16 नवम्बर 2022 को मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा राज्य में कलस्टर आधारित बकरी पालन को बढ़ावा दिये जाने के उद्देष्य से गोट वैली परियोजना का उद्घाटन किया गया।
- ❖ गोट वैली परियोजना के अन्तर्गत पषुपालन विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, सहकारिता विभाग व राज्य में बकरी विकास आधारित परियोजना का अभिसरण कर कलस्टर आधारित बकरी पालन को बढ़ावा दिया जाना है।
- ❖ एक वैली के अन्तर्गत न्यूनतम् 100 लाभार्थीयों को लाभान्वित किया जाना है।
- ❖ वर्तमान तक 1579 लाभार्थीयों का चयन कर लाभान्वित किये जाने की प्रक्रिया गतिमान है। वर्तमान तक 20,000 बकरियां व 1434 बकरों का वितरण किया जा चुका है।

2- Aggregation cum Breeding Farm & Training Center :

- ❖ परियोजना के माध्यम ACBF पशुलोक, ऋषिकेश में स्थापित Breeding Centre के माध्यम से माह दिसम्बर, 2023 तक 19680 लीटर बकरी के दूध के विक्रय से लगभग रू0 58.96 लाख की आय अर्जित की गयी है।
- ❖ ACBF पशुलोक, ऋषिकेश में ही स्थापित Training Centre के माध्यम से 989 भेड़ बकरी पालकों अथवा अन्य को भेड़ बकरी से सम्बन्धित प्रषिक्षण उपलब्ध कराया जा चुका है।

3- BAKRAW- The Himalayan Goat Meat :

- उत्तराखण्ड राज्य के भेड़, बकरी पालको को विकास की सौगात देने हेतु योजनान्तर्गत प्राथमिक सहकारी समिति के लाभार्थी सदस्यों के कलस्टर आधारित उत्पादों को समर्पित विपणन व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है।
- ग्राहकों तक हिमालयन गोट मीट की सुगमता से उपलब्धता हेतु एक अत्याधुनिक सुसज्जित Meat-On-Wheel वाहन के माध्यम से Online Order करने से उच्च गुणवत्ता का स्वस्थ्य, स्वच्छ "हिमालयन गोट मीट" उपभोक्ताओं के द्वार पर उपलब्ध कराया जा रहा है।
- वैल्यू चैन को स्थापित कर किसानों को उनके बकरियों का उचित मूल्य दिया जा रहा है एवं मीट उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता का हिमालयन गोट मीट उनके द्वार में उपलब्ध कराया जा रहा है।
- Meat-On-Wheel वाहन तथा आउटलेट के माध्यम से वर्तमान तक लगभग रू0 3.5 करोड़ से अधिक का कारोबार किया जा चुका है।
- BAKRAW- The Himalayan Goat Meat के साथ–साथ UttaraFish तथा Himala Chicken के विस्तार हेतु एक मार्केटिंग कम्पनी स्थापित की गयी है जिसके अन्तर्गत प्राईवेट पार्टनर के साथ संयुक्त उद्यम कर सभी मीट उत्पादों को एक की कम्पनी के अन्तर्गत देहरादून तथा देष के अन्य षहरो में बिक्री जा जाएगी।

–: डेयरी क्षेत्रक :–

- डेयरी क्षेत्रक 02 03 05 यूनिट दुधारू पशुओं की स्थापना के सापेक्ष 3456 दुधारू पशु क्रय किए गये है, जिसके फलस्वरूप 14421 ली0 प्रतिदिन दुग्ध उपार्जन कर 854 उत्पादकों को लाभान्वित किया गया है।
- 50 दुधारू पशु यूनिट की स्थापना की गयी, जिसके परिणामस्वरूप 237.50 ली0 प्रतिदिन दुग्ध उपार्जन किया गया है।
- 18 दुग्ध उत्पादक सेवा केन्द्रों की स्थापना की गई जिसके माध्यम से दुग्ध उत्पादकों को पशुआहार, साइलेज, मिनरल मिक्सचर, भूसा, भेली, चाटन भेली एवं सामान्य दवाएं इत्यादि सामग्री उनकी मांग पर तत्काल उपलब्ध करायी जा रही है। जिसके फलस्वरूप 348 DCS तथा 17543 सदस्य लाभान्वित हुए। साथ ही लगभग 76 लाख रू0 माह का टर्नओवर किया गया।
- 78 आंचल मिल्क बूथों और 21 आँचल कैफे की स्थापना की गई जिसके माध्यम से आंचल दही, दूध, मक्खन, पनीर, चीज इत्यादि का विक्रय किया जा रहा है।

–: मत्स्य क्षेत्रक :–

- मत्स्य क्षेत्रक 50 ट्राउट कलस्टर विकास के सापेक्ष 61 कलस्टरों की स्थापना कर ट्रॉउट फ्रॉर्मिंग किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप 300 मी0 टन ट्रॉउट का उत्पादन किया जा रहा है।
- 60.7 हेक्टेयर भूमि में इन्टीग्रेटेड फार्मिंग के अन्तर्गत पन्गास एवं कार्प की फार्मिंग की जा रही है, जिसके फलस्वरूप 300 मी0 टन प्रति हेक्टेयर पंगास एवं कार्प का उत्पादन किया जा रहा है।
- उत्तरा फिश ब्राण्ड का विकास परियोजना के माध्यम से किया जा रहा है जिसके क्रम में विपणन हेतु तीन विपणन आउटलेट की स्थापना की जा चुकी है, जिसके माध्यम से 490 लाभार्थियों के उत्पादन 30 मी0 टन मछली का विपणन कर रू0 86.21 लाख की आय अर्जित की गई है।

03. मुख्यमंत्री ई–रिक्शा कल्याण योजनाः–

राज्य के युवाओं/युवतियों को रोजगार प्रदान किये जाने के दृष्टिग्त रोजगार सृजन हेतु **"मुख्यमंत्री ई–रिक्शा कल्याण योजनान्तर्गत"** सहकारी बैंकों द्वारा बेरोजगार युवकों/युवतियों को ई–रिक्शा खरीद हेतु 09 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। उक्त योजनान्तर्गत इस वित्तीय वर्ष में **43** लाभार्थियों को **रू0 107.41 लाख** रू0 का ऋण ई–रिक्शा कल्याण योजना के तहत वितरित किया गया। उक्त योजनान्तर्गत **कुल 3477 महिला एवं पुरूष लाभार्थियों को कुल रू0 47.32 करोड़** का ऋण ई–रिक्शा खरीद हेतु वितरित किया गया है।

लाभार्थिओं को वाहन वितरण

04. मोटर साईकिल टैक्सी योजनाः–

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनान्तर्गत विभाग द्वारा संचालित **"मोटर साइकिल टैक्सी योजना"** अन्तर्गत आवेदनकर्ता को प्रमुख पर्यटक स्थलों में पर्यटक/यात्रियों को परिवहन सेवा उपलब्ध कराने हेतु सहकारी बैंकों के माध्यम से वाहन क्रय किये जाने हेतु रू0 60 हजार से 01 लाख 25 हजार तक का 02 वर्षों तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। उक्त योजनान्तर्गत **कुल 305 लाभार्थियों को कुल रू0 368.49 लाख** का ऋण ई–रिक्शा खरीद हेतु वितरित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुल **14 लाभार्थियों को रू0 15.28 लाख** का ऋण वितरित किया गया।

लाभार्थिओं को वाहन वितरण

05. स्टेट मिशन मिलेट्स योजना :–

राज्य में कृषि की मुख्य फसलों के अतिरिक्त स्थानीय फसलें जैसे रामदाना, मण्डुवा, झंगोरा इत्यादि फसलों का उचित मूल्य कृषकों को प्रदान कर उनकी आय दोगुनी किये जाने के उद्देश्य से मिलेट मिशन योजना अन्तर्गत सहकारिता विभाग की शीर्ष सहकारी संस्था उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि०, देहरादून द्वारा मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना के अन्तर्गत स्टेट मिलेट मिशन में स्थानीय कृषकों से खरीद की जा रही है। वित्तीय वर्ष **2024–25** में कुल 268 क्रय–केन्द्र के माध्यम से कुल 9473 कृषकों से 31,338.26 कुन्तल मण्डुआ पर्वतीय मिलेट खरीद कर, कुल रु0 996.92 लाख का भुगतान स्थानीय कृषकों को किया गया। इस प्रकार कृषकों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उनकी उपज का उचित मूल्य प्रदान कर उनकी आजीविका में वृद्वि की गयी।

सहकारी समितियों में मिलेट्स का क्रय एवं संग्रहण

06. पैक्स कम्प्यूटरीकरण :–

सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राज्य के समस्त **670 एमपैक्सों का कम्प्यूटरीकरण** किये जाने हेतु पैक्स कम्प्यूटरीकरण योजना संचालित की जा रही है जिसके माध्यम से समिति कार्यों में पारदर्शिता होने के साथ ही समिति अभिलेखों का भी डिजिटलीकरण किया जायेगा। योजनान्तर्गत वर्तमान में राज्य की समस्त एमपैक्सों में वेब केम, आधार डिवाइस एवं वी0पी0एन0 राउटर की आपूर्ति की जा चुकी है।

07. निबन्धक कार्यालय का कम्प्यूटरीकरण :–

Computerization of RCS office योजनान्तर्गत मुख्यालय निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उत्तराखण्ड, देहरादून एवं अधीनस्थ जनपदीय कार्यालयों में किये जाने हेतु दैनिक आवश्यक कार्य यथा Registration of Cooperatives, Amendment of Bye Laws, Annual Return Filing, Appeal, Settlement of Disputes, Audit, Inspection of Records, Liquidation, Complaints, Election आदि को डिजीटल प्लेटफार्म पर लाये जाने हेतु RCS Uttarakhand Web Portal तैयार किया जा रहा है, जिसके द्वारा आम जनमानस को प्रदान की जाने वाली सुविधा यथा समिति पंजीकरण आदि डिजीटल प्लेटफार्म पर उपलब्ध होगें।

सहकारिता विभाग से सम्बन्धित योजनाओं के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य एंव उनकी उपलब्धि का विवरण

योजना का नाम/मद	इकाई	वित्तीय वर्ष 2024–25	
		लक्ष्य	पूर्ति
1–सहकारी ऋण एंव अधिकोषण योजना–			
अ–अल्पकालीन ऋण वितरण	लाख रू0 में	**155000**	119129
ब–मध्यकालीन ऋण वितरण	लाख रू0 में	**35000**	26320
स–दीनदयाल सहकारिता किसान कल्याण योजना	लाख रू0 में	**129595**	93254
द–सदस्यता वृद्वि	संख्या में	**100000**	40587
य–सदस्यों द्वारा अंशधन वृद्वि	लाख रू0 में	**2000**	1051.60
2–सहकारी क्रय–विक्रय योजना–			
अ–बीज वितरण	कुन्तल में		0
ब–गेहूँ खरीद	मै0टन	**108000**	133050
स–धान खरीद	मै0टन	**188000**	1248.35
3–उपभोक्ता योजना–			
अ–नगरीय क्षेत्र	लाख रू0	**11300**	5124.10
ब–ग्रामीण क्षेत्र	लाख रू0	**5500**	3171.97
4–पर्वतीय क्षेत्र में उर्वरक परिवहन पर राज सहायता–			
अ– रासायनिक उर्वरक वितरण	मै0टन	**128850**	99720.00
5–केन्द सरकार द्वारा संचालित योजनायें			
अ– जन औषधि केन्द्र	संख्या में	**65**	21
ब– जन सुविधा केन्द्र	संख्या में	**670**	639
स– प्रधानमंत्री समृद्वि केन्द्र	संख्या में	**670**	466
द– पानी समिति	संख्या में	**65**	62

विवरण पत्र–2

वित्तीय प्रगति वर्ष 2024–25

(धनराशि लाख रुपये में)

योजना का नाम	वर्ष 2023–24 में माह मार्च 2024 तक व्यय	वित्तीय वर्ष 2024–25		
		बजट प्राविधान	प्राप्त स्वीकृति वर्ष 2024–25	व्यय
1	2	3	4	5
जिला योजना–				
ऋण एवं अधिकोषण योजना	664.59	777.70	653.70	588.70
सह0 क्रय–विक्रय योजना	345.43	429	374.80	272.12
सह0 उपभोक्ता योजना	35.14	12.30	9.80	9.45
योगः–				
राज्य सेक्टर–				
सहकारी शिक्षा योजना (प्रशिक्षण)	9.71	20	10	5.04
उर्वरक परिवहन पर राज सहायता	125	211	125	125.00
कारपस फण्ड	20	20	20	20.
दीन दयाल उपा0 सहकारिता किसान कल्याण योजना	6000	8500	3482.93	3482.93
राज्य सहकारी परिषद हेतु वित्तीय सहायता	20	40	20	20
उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारी कल्याण निगम	25	0.01	0	
बाढ/अतिवृष्टि के कारण ब्याज पर राहत	0	0.01	0	
सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल	20	20	10	10
उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि0, द्वारा मिलेटस मिशन योजना हेतु अनुदान	63.84	67.03	0	0
निबन्धक कार्यालय हेतु	0	0.01	0	0
बंजर भूमि में सहकारी सामूहिक खेती योजना	0	700	0	0
जन औषधि केन्द्र के संचालन हेतु	36	50	12	0
मोटर साइकिल टैक्सी योजना	25	25	6.99	6.99
उपभोक्त सहकारी संघ को कार्यशील पूंजी के रुप में ऋण	100	0.01	0	0
राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के कार्यालय संचालन हेतु	883.30	730.30	350	350
राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना हेतु **अनुदान**	102.43	4000	3881.82	3881.82
राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना हेतु **ऋण**	700.00	10000	10000	10000
राठ विकास अभिकरण हेतु	0	0.01	0	0
सहकारी बैंकों में पूंजी निवेश	0	0.01	0	0
उपभोक्ता सहकारी संघ को एक बार कार्यशील पूंजी	0	0.01	0	0
शॉपिग कॉम्पलेक्स हेतु आवास संघ को पूंजी	0	575	0	0

पैक्स का कम्प्यूटरीकरण (केन्द्र पोषित) 90% केन्द्रांश	0	521.91	0	0
निबन्धक कार्यालय के कम्प्यूटरीकरण हेतु सॉफ्टवेयर के लिए 100% केन्द्रांश	0	150.00	0	0
निबन्धक कार्यालय के कम्प्यूटरीकरण सॉफ्टवेयर मरम्मत हेतु केन्द्रांश (90:10)	0	0.01	0	0
निबन्धक कार्यालय के कम्प्यूटरीकरण सॉफ्टवेयर डाटा स्टोर हेतु केन्द्रांश (90:10)	0	0.01	0	0
निबन्धक कार्यालय के कम्प्यूटरीकरण हार्डवेयर क्रय हेतु केन्द्रांश (90:10)	0	31.83	9.70	0
पैक्स का कम्प्यूटरीकरण (केन्द्र पोषित) 10% राज्यांश	0	62.09	0	0
निबन्धक कार्यालय के कम्प्यूटरीकरण सॉफ्टवेयर मरम्मत हेतु राज्यांश (90:10)	0	0.01	0	0
निबन्धक कार्यालय के कम्प्यूटरीकरण सॉफ्टवेयर डाटा स्टोर हेतु राज्यांश (90:10)	0	0.01	0	0
निबन्धक कार्यालय के कम्प्यूटरीकरण हार्डवेयर क्रय हेतु राज्यांश (90:10)	0	3.54	1.07	0
महायोग–	**9175.44**	**26946.81**	**18967.81**	**18772.05**

मानव संसाधन विकास नियोजन एवं प्रशिक्षण

वर्तमान में सहकारिता विभाग के अन्तर्गत संचालित समस्त एमपैक्सों में कम्प्यूटरीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है। तदोपरान्त उक्त एमपैक्सों के विभिन्न कार्मिकों यथा समिति सचिव/आंकिक/कम्प्यूटरीकरण हेतु नियुक्त पटल प्रभारी आदि का पैक्स कम्प्यूटरीकरण से सम्बन्धित सॉफ्टवेयर के सफल संचालन के दृष्टिगत् सहकारी समितियों में कार्यरत **लगभग 252 विभिन्न कार्मिकों/अधिकारियों को वर्ष 2024–2025** में सहकारी प्रबन्ध संस्थान देहरादून के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर प्रशिक्षण प्रदान कराया गया है। साथ ही विभाग में **नव नियुक्त 06 सहायक निबन्धकों** को विभागीय क्रियाकल्पों के सम्बन्ध में आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु देश के विभिन्न प्रदेशों की सहकारी संस्थाओं का भ्रमण कराया जाना प्रस्तावित है। विगत् वर्ष में हुये प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रतिभागियों को सहकारिता से सम्बन्धित विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिससे प्रतिभागियों को सहकारिता से सम्बन्धित विषयों यथा समिति में कैश बुक, लेजर भरना, अभिलेख रख–रखाव, ऑडिट प्रतिवेदन, निरीक्षण, सहकारिता में लीडरशिप की भूमिका, ऑफिस मैनेजमेन्ट टूल, एन0सी0डी0सी0, नाबार्ड की भूमिका, सहकारिता का महत्व आदि के सम्बन्ध में जानकारी विस्तृत रुप से प्रदान की गयी। उक्त विषयों पर प्रशिक्षण प्राप्त कर प्रशिक्षणार्थियों द्वारा समिति/बैंक में किये जाने वाले दैनिक कार्यो का उचित अनुश्रवण किया जा रहा है।

सहकारी संस्थाओं के व्यवसाय में वृद्वि किये जाने के सम्बन्ध में भी राज्य व केन्द्र द्वारा सहकारी संस्थाओं के व्यवसाय में वृद्वि हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं व सुविधाओं के अन्तर्गत सहकारी संस्थाओं में व्यवहारपरक व्यवसाय योजनायें तैयार किये जाने में सहायता मिल रही है, फलस्वरुप समिति सदस्यों एवं कृषकों को सहकारी समितियों के माध्यम से त्वरित एवं पारदर्शी बैंकिग सुविधायें दिये जाने व रोजगारपरक व्यवसाय किये जाने में आवश्यक सहायता मिल रही है। वर्तमान में सहकारिता विभाग द्वारा इस वित्तीय वर्ष में कुल 05 प्रशिक्षण कार्यक्रम आहूत किये जा चुके हैं। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रावधानित धनराशि रु0 20.00 लाख के सापेक्ष जनवरी 2025 तक रु0 5.04 लाख का व्यय किया गया है।

सहकारिता विभाग का संगठनात्मक ढाँचा

निदेशालय/मुख्यालय स्तर	संख्या	मण्डल स्तर	संख्या	जिला स्तर	संख्या
निबन्धक	01	उप निबन्धक	02	जिला सहायक निबन्धक	13
अपर निबन्धक	02	सहायक निबन्धक	02	लेखाकार	02
संयुक्त निबन्धक	04	अपर जिला सहकारी अधिकारी	02	सहायक लेखाकार	13
उप निबन्धक	04	सहकारी निरीक्षक वर्ग–2	04	अपर जिला सहकारी अधिकारी	87
वित्त नियंत्रक	01	लेखाकार	02	सहकारी निरीक्षक वर्ग–2	134
सहायक निबन्धक	02	मिनिस्ट्रीयल	06	राजकीय पर्यवेक्षक	64–मृत संवर्ग
सहायक लेखाधिकारी	02	चालक	02	संग्रह अमीन	35–मृत संवर्ग
वैयक्तिक अधिकारी	01	सहयोगी	06	अन्वेषक कम संगणक	09
अवर अभियन्ता	01			मिनिस्ट्रीयल	26
वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	02			चालक	13
वैयक्तिक सहायक	02			सहयोगी	13
अपर जिला सहकारी अधिकारी	06				
सहकारी निरीक्षक वर्ग–2	04				
अन्वेषक कम संगणक	02				
लेखाकार	01				
सहायक लेखाकार	02				
मिनिस्ट्रीयल संवर्ग	13				
चालक	06				
सहयोगी	11				
योग–	**67**		**26**		**409**
सहकारी न्यायाधिकरण	**संख्या**	**सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण**	**संख्या**	**संस्थागत सेवा मण्डल**	**संख्या**
अध्यक्ष (न्यायिक सेवा से)	01	अध्यक्ष (राज्य सरकार द्वारा मनोनीत)	01	अध्यक्ष (पदेन, निबन्धक)	
सदस्य	02	सदस्य	03	सचिव (सह0निरी0वर्ग–1)	01
सचिव (उप निबन्धक)	01	सचिव (उप निबन्धक)	01	वैयक्तिक सहायक	01
वैयक्तिक सहायक	01	कम्प्यूटर ऑपरेटर/कनिष्ठ सहायक	01		
कनिष्ठ सहायक	01	चालक	01		
चालक	01	सहयोगी/चौकीदार	01		
सहयोगी/चौकीदार	02				
प्रोसेस सरवर	01				
योग	**10**		**08**		**02**

अतः उपरोक्त ढाँचे के अनुसार सहकारिता विभाग में स्वीकृत पदों की **कुल संख्या 522** हैं।

सहकारिता विभाग का संगठनात्मक ढाँचा

क्रं0	निदेशालय स्तर	मण्डलीय स्तर	जिला स्तर
1	निबन्धक	उप निबन्धक	जिला सहायक निबन्धक
2	अपर निबन्धक	सहायक निबन्धक	अपर जिला सहकारी अधिकारी
3	संयुक्त निबन्धक	अपर जिला सहकारी अधिकारी	सहायक विकास अधिकारी (सह0)
4	उप निबन्धक	सहायक विकास अधिकारी (सह0)	लेखाकार/सहायक लेखाकार
5	वित्त नियन्त्रक	लेखाकार	अन्वेषक कम संगणक
6	सहायक लेखाधिकारी	मिनिस्ट्रीयल एवं सहयोगी स्टाफ	मिनिस्ट्रीयल एवं सहयोगी स्टाफ
7	सहायक निबन्धक	चालक	संग्रह अमीन (मृत संवर्ग)
8	वैयक्तिक अधिकारी/सहायक	सहयोगी	राजकीय सहकारी पर्यवेक्षक (मृत संवर्ग)
9	अपर जिला सहकारी अधिकारी		चालक
10	सहकारी निरीक्षक वर्ग–2		सहयोगी
11	लेखाकार/सहायक लेखाकार		
12	अन्वेषक कम संगणक		
13	तकनीकी, मिनिस्ट्रीयल एवं सहयोगी		
14	चालक		